# North Asian International Research Journal of Multidisciplinary

CIF IMPACT FACTOR:4.465

ISSN: 2454-2326 Vol. 4, Issue-12 December-2018

Index Copernicus Value 58.12 Thomson Reuters ID: S-8304-2016

A Peer Reviewed Refereed Journal


## बिहार राज्य में समेकित बाल विकास कार्यक्रम की वर्त्तमान स्थिति


अश्वनी कुमार झा

शोधार्थी
विषय :– वाणिज्य
वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा


### भूमिका

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 0 से 6 वर्ष के उम्र के 1.91 करोड़ बच्चे हैं जिनका राज्य की कुल आबादी में 18.3 प्रतिशत हिस्सा है। ये बच्चे राज्य के भावी मानव संसाधन हैं। इसलिए 1975 में समेकित बाल विकास योजना का शुभारंभ अन्य राज्यों के साथ–साथ बिहार के 33 प्रखंडों में भी किया गयाा था। समेकित बाल विकास योजना का एक केन्द्र प्रायोजित योजना जो छः सेवाओं का पैकेज उपलब्ध कराती है – माताओं को पूरक पोषाहार, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जाँच, रेफरल सेवाएं, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को अनौपचारिक विद्यालय–पूर्व शिक्षा। समेकित बाल विकास योजना के लक्ष्य समूह को आंगनवाड़ी केन्द्रों के जरिए सहायता पहुँचाती है। योजना के कर्मचारियों मे बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी सेविका और आंगनवाड़ी सहायिका शामिल होते हैं। कार्यक्रम के लाभार्थी 0 से 6 वर्ष उम्र के बच्चे, गर्भती महिलाएं और शिशुवती माताएं हैं। योजना के निम्नलिखत उद्देश्य हैं :–

- 0 से 6 वर्ष के बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य संबंधी स्थिति में सुधार;
- बच्चों को उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना;
- बच्चों में मृत्यु, रूग्णता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की घटनाओं में कमी लाना;
- बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और क्रियान्वयन का प्रभावी समन्वय हासिल करना; और
- बच्चों की सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों की देखभाल के लिए उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के जरिए माताओं की क्षमता बढ़ाना।[2]

समाज कल्याण विभाग महिलाओं, बच्चों, निःशक्तजनों, वृद्धजनों एवं समाज के अन्य अभिवंचित वर्गों के हितों तथा अधिकारों के संरक्षण, सम्वर्द्धन एवं प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार का महत्वपूर्ण विभाग है, जिसका मुख्य उद्देश्य इन समूहों की समेकित उन्नति एवं विकास के लिए संविधान, विभिन्न अधिनियमों, राज्यादेश एवं नियमावली के अनुसार नीतियाँ, कार्य योजनाएँ एवं कार्यक्रम तैयार कर उनका कार्यान्वयन करना है। वर्ष – 2007 में

कल्याण विभाग से अलग होने के पश्चात् यह विभाग लगातार अपने उद्देश्यों की पूर्ति की ओर अग्रसर है। विभाग के अधिन तीन निदेशालय कार्यरत हैं, जिनके माध्यम आवंटित कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन किया जाता है :–

- समेकित बाल विकास सेवाएँ निदेशालय,
- समाज कल्याण निदेशालय एवं
- सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय।

### समेकित बाल विकास योजना का कार्यान्वयन

समेकित बाल विकास योजना का कार्यान्वयन समेकित बाल विकास सेवाएँ निदेशालय के द्वारा किया जाता है। इस निदेशालय के द्वारा मुख्यतः आई0 सी0 डी0 एस0 की योजना संचालित होती है, जिसके अंतर्गत समेकित रूप से 0–6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती तथा धातृ महिलाओं व किशोरी बालिकाओं को पूरका पोषाहार, स्कूल–पूर्व शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा संदर्भ सेवाएँ सहित छः प्रकार की सेवाएँ प्रदान की जाती है। योजना के कार्यान्वयन हेतु नीतिगत विषयों, बजट, प्रशिक्षण संबंधी आवश्यक कार्य, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन आदि का कार्य भी होता है।

**समेकित बाल विकास सेवा योजना** :– वर्ष 1975 से प्रारम्भ हुई समेकित बाल विकास सेवा योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। यह प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास के लिए एक अनूठा सर्वव्यापी समुदाय आधारित कार्यक्रम है, जिसके अन्तर्गत बच्चों और महिलाओं की बहुआयामी तथा पारस्परिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कारगर तथा कम लागत पर सेवाएँ दी जाती हैं।

उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिीए समेकित रूप से निम्नलिखित छः सेवायें 0–6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती तथा धात्री महिलाओं व किशारी बालिकाओं को इस कार्यक्रम द्वारा प्रदान की जाती है :–

1. पूरक पोषाहार
2. स्कूल पूर्व शिक्षा
3. टीकाकरण
4. स्वास्थ्य जाँच
5. पेषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा
6. संदर्भ सेवायें

समेकित बाल विकास सेवाएँ (आई. सी. डी. एस.) द्वारा उपरोक्त सेवाओं के आधार पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निम्न योजनाओं का संचालन राज्य योजना अन्तर्गत किया जा रहा है :–

1. **समेकित बाल विकास सेवा योजना (राज्य योजना – केन्द्रांश एवं राज्यांश):–** राज्य के सभी जिलों में 38 जिला प्रोग्राम कार्यालय एवं सभी प्रखंडों में 544 बाल विकास परियोजना कार्यालय स्वीकृत एवं संचालित है। भारत सरकार के निर्णय के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015–16 के प्रभाव से पूरक पोषाहार मद में तथा अन्य सभी योजनओं में का अनुपात निर्धारित है।

   वित्तीय वर्ष 2016–17 में स्थापना मद में दिनांक 13.02.2017 तक केन्द्रांश में 19407.03 लाख रू0 तथा राज्यांश में 13372.51 लाख रू0 व्यय किये गए। वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्थापना मद में केन्द्रांश में 71563.25 लाख रू0, राज्यांश मे 38990.11 लाख रू0 राज्य योजना में 12596.06 लाख रू0 का उदव्यय / बजट उपबन्ध प्रस्तावित है।

2. **पूरका पोषाहार कार्यक्रम (राज्य योजना–केन्द्रांश एवं राज्यांश) :–** राज्य के सभी 38 जिलों के 544 बाल विकास परियोजनाओं में कुल स्वीकृत 91677 आँगनवाड़ी केन्द्रों (मिनी सहित) के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष के सभी सामान्य/कुपोषित बच्चों, सभी अतिकुपोषित बच्चों एवं सभी गर्भवती/शिशुवती महिला को पूरक पोषाहार प्रदान करने का प्रावधान रखा गया है।

   इसके अतिरिक्त भारत सरकार से नव स्वीकृत 23041 आँगनवाड़ी केन्द्र (मिनी सहित) स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में पूरक पोषाहार मद में दिनांक 13.02.2017 तक केन्द्रांश में 42305.47 लाख रू0 तथा राज्यांश मे 28606.34 लाख रू0 व्यय किये गए। वित्तीय वर्ष 2017–18 में पूरक पोषाहार मद में केन्द्रांश में 94255.34 लाख रू0 तथा राज्यांश में 84409.87 लाख रू0 का उदव्यय / बजट उपबन्ध प्रस्तावित है, जिसमें केन्द्रांश–विशेष घटक में 23563.84 लाख रू0 तथा राज्यांश–विशेष घटक में 48692.00 लाख रू0 तथा राज्यांश–जनजातीय योजना के लिए 8776.96 लाख रूव का उदव्यय / बजट उपबन्ध सन्निहित है।

3. **आँगनवाड़ी केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना (राज्य योजना–सामान्य/ विशेष घटक) :–** राज्य के बाल विकास परियोजनओं के अन्तर्गत कार्यरत सभी आँगनवाड़ी कन्द्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहें 3–6 वर्ष आयु के सभी बच्चों को रू0 250/– वार्षिक लागत की दर पर पोशाक की राशि दी जाती है। पोशाक मद में व्यय शत्–प्रतिशत राज्य योजना–राज्यांश मद से वहन का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में 8895.70 लाख रू0 बजट उपबंध प्राप्त है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में 10003.94 लाख रू0 का उदव्यय / बजट उपबन्ध प्रस्तावित है, जिसमें विशेष घटक के रूप में 2500.94 लाख रू0 सन्निहित है।

4. **एम. आई. एस. प्रणाली (राज्य योजना) –** आई. सी. डी. एस. योजना के अन्तर्गत मैनेजमेंट इनफोरमेसन सिस्टम को सुदृढ़ करने हेतु राज्य स्तर पर डाटा सेन्टर की स्थापना की गई है। जिला / परियोजना स्तर पर संबंधित कार्यालयों में कम्प्यूटर की व्यवस्था की गयी है, साथ ही उक्त कार्यालयों में कम्प्यूटर के संधारण हेतु बेल्ट्रॉन / जिला स्तरीय पैनल से डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की सेवाएँ उपलब्ध करायी गयी है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में दिनांक 13.02.2017 तक 602.03 लाख रू0 व्यय किये गये। वित्तीय वर्ष 2017–18 में 900.00 लाख रू0 का उदव्यय / बजट उपबन्ध प्रस्तावित है।

5. **किशारियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (सबला) –** राज्य के 12 जिलों यथा – पटना, बक्सर, गया, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, प0 चम्पारण, वैशाली, सहरसा, किशनगंज, कटिहार, बांका एवं मुंगेर में किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए "सबला" कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2011–12 से प्रारम्भ किया गया है, जिसके तहत किशोरी बालिकाओं को स्वालंबी बनाने के साथ–साथ पूरक पोषाहार भी प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2015–16 से भारत सरकार से निर्धारित अनुपात में गैर–पोषण एवं पोषण मद में राज्य योजना–केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात क्रमशः 60:40 एवं 50:50 है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल 20 लाख किशोरी बालिकाओं को पूरका पोषाहार तथा 16 से 18 वर्ष

की आयु समूह की स्कूल नहीं जानेवाली किशोरी बालिकाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर शारीरिक एवं आर्थिक रूप से समृद्ध किया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में दिनांक 13.02.2017 तक सबला मद में केन्द्रांश में 2041.20 लाख रू0 तथा राज्यांश में 1800.78 लाख रू0 का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में केन्द्रांश मे 154.01 लाख रू0 तथा राज्यांश में 5102.67 लाख रू0 का उदव्यय / बजट उपबन्ध प्रस्तावित है, जिसमें राज्यांश–विशेष घटक के रूप में 1275.66 लाख रू0 का उदव्यय/बजट उपबन्ध सन्निहित है।

6. **इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन –** राज्य के दो जिलों यथा – वैशाली एवं सहरसा में इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना वित्तीय वर्ष 2011–12 से लागू किया गया है। इस योजना के तहत गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को वित्तीय वर्ष 2013–14 से भारत सरकार द्वारा रू0 6000/– की नगद प्रोत्साहन राशि दो किस्तों में प्रदान किए जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2016–17 से भारत सरकार से निर्धारित अनुपात में राज्य योजना–केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 है। इस योजना के तहत् गर्भवती महिलाओं को मातृत्व अनुदान प्रदान करना है एवं राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के कार्यकलापों के सफल संचालन हेतु राशि उपलब्ध कराना है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में दिनांक 13.02.2017 तक इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन मद में 11.34 लाख रू. का व्यय किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2017–18 में इंदिरा गाँधी मातृत्व विकास योजना सहित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन मद में केन्द्रांश में 5153.46 लाख रू0 तथा राज्यांश में 3435.64 लाख रू0 का उदव्यय / बजट उपबन्ध प्रस्तावित है, जिसमें राज्यांश–विशेष घटक में 858.91 लाख रू0 का उदव्यय / बजट उपबन्ध सन्निहित है।

7. **आई. सी. डी. एस. प्रणाली पोषण सुधार एवं सुदृढ़ीकरण योजना (आई. एस. एस. एर. आई. पी.) बाह्य सम्पोषित योजना :–** भारत सरकार से सहयोग प्राप्त योजना प्ब्क्ै लेजमउ ैजतमदहजीमदपदह – छनजतपजपवद प्उचतवअमउमदज च्तवरमबज ;प्ैछप्च्द्ध विश्व बैंक सम्पोषित है, जिसके द्वारा आई. सी. डी. एस. के माध्यम से बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा तथा पोषण और स्वास्थ्य संबंधी परिणामों की प्राप्ति, सामुहिक सहभागिता, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के माध्यम से बेहतर सेवा प्रदान करने का लक्ष्य है। इस योजना को वर्ष 2013–14 से बिहार के 19 जिलों यथा – समस्तीपुर, मधुबनी, पूर्वी चम्पारण, वैशाली, पश्चिमी चम्पारण, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, सीतामढ़ी, दरभंगा, सुपौल, जमुई, पूर्णियाँ, गोपालगंज, लखीसराय, सहरसा, भागलपुर, बक्सर एवं जहानाबाद के सभी 281 परियोजनाओं के कुल 43292 आँगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यक्रम संचालित है।

आई.सी.डी.एस. द्वारा विगत चार वर्ष में कई नई पहल किए गए हैं एवं मुख्य सेवाओं के गुणवत्ता में भी सुधार लाने का प्रयास किया गया है। इन सभी कार्यक्रमों के परिणाम जानने हेतु एक सक्षम एवं सुगम अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण प्रणाली का होना अति आवश्यक है। इस दिशा में त्मेजतनबजनतमक ^प्ब्क्ै के अन्तर्गत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए प्दवितउंजपवद ब्वउउनदपबंजपवद ज्मबीदवसवहल.त्मंस डवदपजवतपदह ;प्ब्ज्.त्ज्डद्ध को क्रियान्वित करने का निर्णय किया गया है। प्ब्ज्.त्ज्ड के द्वारा कार्यकर्त्ताओं की कार्यक्षमता में वृद्धि, बेहतर परिणाम, ब्वदबनततमदज डवदपजवतपदह और थ्ंबज इंेमक जपउमसल क्मबपेपवद लेने में सहायक होगा।

**उक्त योजना के अन्तर्गत निम्न कार्य वित्तीय वर्ष 2016–17 तक किये गये हैं '–**

- सभी जिलों में बाल कुपोषण मुक्त बिहार अभियान के संदेशों को समुदाय के अंतिम पायदान तक पहुँचाने हेतु नुक्कड़–नाटक दो चरणों (प्रथम चरण अक्Ûबर, 2014 एवं द्वितीय चरण मार्च, 2015) में सफल मंचन किया गया। जिसमें कुल 3140 ैवि का मंचन किया गया।
- सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्रत्येक माह के 19 तारीख को अन्नप्रासन (ऊपरी आहार) कार्यक्रम का आयोजन निरंतर किया जा रहा है।
- सवंर्धित क्षमता विकास कार्यक्रम का उप–स्वास्थ्य केन्द्र/ सेक्टर स्तर तक संचालन हेतु स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण विभाग का संयफकत हस्ताक्षरोपरान्त दिशानिर्देश का प्रेषण किया गया है।
- सवंर्धित क्षमता विकास ( प्ब्।) कार्यक्रम का उप–स्वास्थ्य केन्द्र/ सेक्टर स्तर तक संचालन हेतु जिला संसाधन समूह ( क्त्ळ ) एवं प्रखंड संसाधन समूह ( क्त्ळ) का गठन किया गया है। कुल 190 जिला संसाधन समूह ( क्त्ळ) के सदस्यों को मॉड्यूल 1 से 12तक प्रशिक्षण दिया जा चुका है एवं ग्राम स्तर तक त्वसस.वनज ;ठत्ळद्ध सदस्यों के द्वारा किया जा रहा ळे

**योजना के अन्तर्गत निम्न कार्य वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रस्तावित है –**

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा ष्छिप्च्‍ परियोजना का पुनर्गठन किया गया है। जिसके अन्तर्गत क्रमिक क्षमता विकास ( प्ब्।), अन्नप्रासन एवं ब्ठ.त्ड का क्रियान्वयन छः चयनित जिलों समस्तीपुर, भागलपुर, बक्सर, जहानाबाद, लखीसराय एवं सीतामढ़ी के कुल 12760 आँगनबाड़ी केन्द्रों का चयन किया गया है।
- पुनर्गठित ष्छिप्च्‍ में प्दवितउंजपवद ब्वउउनदपबंजपवद ंदक ज्मबीदवसवहल मदंइसमक.त्मंस ज्पउम डवदपजवतपदह ;ब्ठ.त्डद्ध गतिविधि को सम्मिलित किया गया है। प्रथम चरण में उक्त गतिविधि का क्रियान्वयन छः चयनित जिलों समस्तीपुर, भागलपुर, बक्सर, जहानाबाद, लखीसराय, एवं सीतामढ़ी के कुल 12760 आँगनबाड़ी केन्द्रों का चयन किया गया है।

योजना के घटक – 3, ( ब्वदअमतेंदज छनजतपजपवद ।बजपवद ) के अंतर्गत एक प्रायोगिकी (च्पसवज) का प्रावधान किया गया है। जिसका मुख्य उद्देश्य समेकित बाल विकास सेवाएँ (प्ब्क्ै) द्वारा स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी दी जाने वाली सेवाएँ की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु स्थानीय स्तर पर जन प्रतिनिधियों के द्वारा सतत, अनुश्रवण, गुणवत्ता का मूल्यांकन उपलब्ध संसाधनों का उपयोग एवं फ्मल भ्मंसजी – छनजतपजपवद डमेंहमे पर ।कअवबंबल इत्यादि में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी को बढ़ावा देना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विषय " ।कअवबंबल ब्वउउनदपबंजपवद ंदक ैवबपंस डवइपसप्रंजपवद जीतवनही म्समबजमक त्मचतमेमदजंजपअम" का क्रियान्वयन प्रयोग के तौर पर दरभंगा जिला में किया जाना है। जिसे बाद में प्रायोगिकी की सफलता के आकलन के पश्चात विस्तारित भी किया जा सकता है।

**8. आई. सी. डी. एस. अन्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण**

आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण का कार्य विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किया जा रहा है, जिसकी अद्यतन स्थिति निम्नांकित है –

- कुल आँगनबाड़ी केन्द्र – 91677 + 20341 + 114718

- केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत नया आँगनबाड़ी केन्द्र – 23041 (नव स्वीकृत केन्द्रों को जिलावार ग्रामीण परियोजनाओं में आवंटन प्रक्रियाधीन है।)
- भवन पूर्ण – 26097
- निर्माणाधीन भवन – 13977
- भूमि उपलब्ध, निर्माण प्रारम्भ नहीं – 25529
- भूमि उपलब्ध – 49115

वित्तीय वर्ष 2016–17 में आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण हेतु केन्द्रांश की राशि 7200.00 लाख रू0 एवं राज्यांश की राशि 3601.00 लाख रू0 उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में मनरेगा एवं आई. सी. डी. एस. के अभिसरण से 100 आँगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण कार्य ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में मनरेगा एवं आई.सी.डी. एस. के अभिसरण से 12000 आँगनबाड़ी केन्द्र भवन का ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्माण हेतु केन्द्रांश की राशि 14401.00 लाख रू0 एवं राज्यांश की राशि 1600.02 लाख रू0 का उद्व्यय/बजट उपबंध प्रस्तावित है।

9. **मिशन मानव विकास** – मिशन मानव विकास के अन्तर्गत कुपोषण मुक्त बिहार अभियान की रूपरेखा तैयार की गई है एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा इस अभियान की सफलता हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई को पूरा कर 11 अक्टूबर 2004, से बाल कुपोषण मुक्त बिहार अभियान सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों पर प्रारम्भ किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत निम्नांकित बिन्दुओं पर जोर दिया जा रहा हैः–

- जन्म के तुरंत बाद (एक घंटे के भीतर) स्तनपान।
- जन्म से 6 माह तक केवल माँ का दूध (पानी भी नहीं)।
- सातवें महीने से उपरी आहार की शुरूआत और उसके साथ स्तनपान भी।
- बाल्यावस्था के रोगों से बचाव तथा रोकथाम।
- स्वच्छ पानी (उबला एवं फिल्टर किया हुआ) का सेवन।
- हाथों की साफ–सफाई तथा स्वच्छता पर विशेष ध्यान तथा शौच के बाद, खाना बनाने से पहीले और खाना खाने व बच्चों को खाना खिलाने के पहले साबुन से हाथ धोना।
- 6 माह से 36 माह के बच्चों की वृद्धि निगरानी।
- 6 माह से 36 माह के बच्चों के लिए पूरक आहार के लिए व्यंजन, प्रत्येक माह के 19 तारीख को पोषाहार (ऊपरी एवं पूरक) बनाने एवं खिलाने की विधि का प्रदर्शनी।
- आशा एवं आँगनबाड़ी सेविका के पास ओ.आर.एस. एवं अन्य आवश्यक दवाईयों की उपलब्धता।
- पोषाहार में अंडा/सोयाबड़ी उपलब्ध कराना।

- आंगनबाड़ी विकास समिति का गठन एवं केन्द्र संचालन में सहयोग।

अभियान की सफलता हेतु स्वास्थ्य, शिक्षा, लोक स्वास्थ्य अभियंत्राण, पंचायती राज, ग्रामीण विकास एवं नगर विकास विभाग की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु विभाग का सतत् प्रयास जारी है।

### समेकित बाल विकास योजना का मूल्यांकन

अभी समेकित बाल विकास योजना राज्य के सभी 38 जिलों में 544 परियोजना कार्यालयों के जरिए चल रही है। 0 से 6 वर्ष उम्र के 1.91 करोड़ बच्चों तथा 60.3 लाख गर्भवती और शिशुवती महिलाओं की जरूरतें पूरी करने के लिए कुल 91.6 हजार आंगनबाड़ी केन्द्र स्थापति किए गए हैं। वर्ष 2013–14 की तुलना में 2014–15 में आंगनबाड़ी सेविकाओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं की संख्या बढ़ी है लेकिन बाल विकास परियोजना अधिकारियों और महिला पर्यवेक्षकों की संख्या में कमी आई है। तालिका 4.2 के अनुसार 2014–15 में रिक्तियों का अनुपात इस प्रकार था – बाल विकास परियोजना अधिकारी (15.8 प्रतिशत), महिला पर्यवेक्षक (24.0 प्रतिशत), आंगनबाड़ी सेविका (6.3 प्रतिशत) और आंगनबाड़ी सहायिका (7.0 प्रतिशत)।

समेकित बाल विकास योजना के लिए बजट प्रावधान लगातार बढ़ा है और 2010–11 के 880.24 करो रू. से 2014–15 में 2,238.31 करोड़ रू. हो गया है जो 24.3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर दर्शाता है। वर्ष 2014–15 में केन्द्र सरकार द्वारा विमुक्त रकम बजट प्रावधान मात्र 58.5 प्रतिशत थी जो मिछले चार वर्षों के आंकड़ों से कम है। इसके विपरीत, 2014–15 में कुल विमुक्त रकम के 94.4 प्रतिशत भाग का उपयोग किया गया है जो स्पष्ट रूप से धनराशि के प्रभावी उपयोग को सूचित करता है। योजना के लिए केन्द्रांश और राज्यांश के विवरण तालिका 4.2 में प्रस्तु है।[6] तालिका 4.1 में भारतवर्ष के सभी राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों से संबंधित सूचना प्रस्तुत हैं।

**तलिका 1: समेकित बाल विकास योजना में कर्मियों की स्थिति[8]**

| वर्ष | पद | बल विकास परियोजना अधिकारी | महिला पर्यवेक्षक | आंगनवाड़ी सेविका | आंगनवाड़ी सहायिका |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012–13 | स्वीकृत | 544 | 3288 | 91677 | 86237 |
| | पदस्थापित | 507 | 2916 | 75183 | 67753 |
| | रिक्त पदों का प्रतिशत | 6.8 | 11.3 | 18.0 | 21.4 |
| 2313–14 | स्वीकृत | 544 | 3288 | 91677 | 86237 |
| | पदस्थापित | 504 | 2859 | 82177 | 78076 |
| | रिक्त पदों का प्रतिशत | 7.4 | 13.0 | 10.4 | 9.5 |
| 2014–15 | स्वीकृत | 544 | 3288 | 91677 | 86237 |
| | पदस्थापित | 458 | 2499 | 85936 | 80176 |
| | रिक्त पदों का प्रतिशत | 15.8 | 24.0 | 6.3 | 7.0 |

**स्त्रोतः समेकित बाल विकास योजना निदेशालय, बिहार सरकार की वेबसाइट**

तलिका 2: समेकित बाल विकास योजना में संसाधनों का उपयोग

| वर्ष | बिहार में समेकित बाल विकास योजना का बजट (करोड़ रू.) | केन्द्र सरकार द्वारा विमुक्त कुल राशि (करोड़ रू.) | व्यय (करोड़ रू) | विमुक्त राशि बजट के प्रतिशत के बतौर | व्यय विमुक्त धन के प्रतिशत के बतौर |
|---|---|---|---|---|---|
| **2010–11** | 880.24 | 727.17 | 615.28 | 82.6 | 84.6 |
| **2011–12** | 1255.87 | 767.40 | 945.09 | 61.1 | 123.2 |
| **2012–13** | 1393.30 | 1094.00 | 1086.10 | 78.5 | 99.3 |
| **2013–14** | 1714.28 | 1147.43 | 1234.46 | 66.9 | 107.6 |
| **2014–15** | 2238.31 | 1308.39 | 1234.92 | 58.5 | 94.4 |

**स्त्रोतः समेकित बाल विकास योजना निदेशालय बिहार सरकार की वेबसाइट**

यह देखते हुए कि अनेक किशारियां स्कूल छोड़ देती हैं, कम उम्र में ब्याह दी जाती हैं और स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य सेवाओं के मामले में भेदभाव की शिकार होती हैं, उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। किशोरियां स्वास्थ्य संबंधी जिन चुनौतियों का सामना कर रही हैं उनमें गर्भवती होना, मातृ मृत्यु का जोखिम, शिशु मृत्यु, यौन सवंमित रोग, जननांगों का संक्रमण, एचआइवी से संक्रमित होना आदि शामिल हैं और इन सभी के लिए जरूरी है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की उनकी आदतों में सुधार हो। किशोरियों की जरूरतें पूरी करने के लिहाज से 11 से 18 वर्ष उम्र वाली किशोरियों के लिए विशेष हस्तक्षेप के बतौर राजीव गांधी किशोरी सबलीकरण योजना (सबला) का आरंभ नवंबर 2010 में किया गया जिसका विशेषज्ञ फोकस शिक्षा विरत लड़कियां थीं। समेकित बाल विकास योजना के प्लेटफार्म का उपयोग करने वाली यह योजना देश के लगभग 953.5 लाख और बिहार की 83.0 लाख किशोरियों के लिए चल रही हैं। यह शत प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना है। आंगनवाड़ी केन्द्रों पर किशोरियों को 'सुखा राशन' या 'गर्म पके राशन' की शक्ल में 600 किलो कैलोरी ऊर्जा देनेवाला पूरक पोषाहार और 18–20 ग्राम प्रोटीन तथा सूक्ष्म पोषक तत्व प्रतिदिन उपलब्ध कराए जाते हैं। 11 से 11 वर्ष उम्र की शिक्षा विरत किशोरियों तथा 14 से 18 वर्ष की सभी किशारियों के लिए यह सेवा वर्ष में 300 दिनों के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा, शिक्षा विरत किशोरियों को अन्य सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं जिनमें कौशल शिक्षा शामिल है। कार्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इस योजना में स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा कार्य एवं खेल–कूद और पंचायती राज संस्थाओं के तहत चलने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के कनवर्जेंस पर भी जोर दिया जाता है।

वर्ष 2011–12 में सबला कार्यक्रम का आरंभ बिहार के 12 जिलों में किया गया था – पटना, बक्सर, गया, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण, वैशाली, सहरसा, किशनगंज, कटिहार, मुंगेर, बांका और सीतामढ़ी। वर्ष 2014–15 में इस योजना से 18.20 लाख किशारियां लाभान्वित हुई।

मातृअल्पपोषण देश में एक बड़ी चुनौती है क्योंकि एक–तिहाई से भी अधिक माताएं निम्न शारीरिक मात्राा सूचकांक (बीएमआइ) वाली हैं। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना इस समस्या से निपटने वाली शत–प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना है। इसका क्रियान्वयन भी समेकित बाल विकास योजना के प्लेटफार्म से किया जा रहा है। अक्तूबर 2010 में इस योजना का आरंभ पायलट के आधार पर हुआ था और अभी यह देश के 53 चुनिंदा जिलों

में चल रही है। अभी लाभार्थियों को बैंक खातों या डाकघर खातों के जरिए दो किश्तों में 6,000 रू. का भुगतान किया जाता है। पहली किश्त का भुगतान गर्भावस्था की तीसरी तिमाही अर्थात सातवें से नौंवें महीने के बीच किया जाता है और विशेष शर्तें पूरी करने पर दूसरी किश्त का प्रसव के छः महीने बाद। कुछ शर्तें पूरी करने पर 19 वर्ष या उससे ऊपर की माताओं को पहले दो जीवित प्रसवों तक के लिए नगद प्रोत्साहन राशि का सीधा भुगतान किया जाता है। बिहार में यह योजना वैशाली और सहरसा, दो जिलों में चल रही है। वर्ष 2014–15 में इस योजना से 1.05 लाख महिलाएं लाभान्वित हुई।[11]

#### 4.4 निष्कर्ष

संपूर्ण बिहार राज्य एवं बिहार के सभी 38 जिलों में चलने वाली समेकित बाल विकास सेवाएं वर्तमान में 80,211 आंगनवाड़ी केन्द्र (।ॅ दृ ।दहंदूंकप ब्मदजतमे) एवं 544 बाल विकास परियोजना ( बेपसक क्मअमसवचउमदज च्तवरमबज) द्वारा विस्तारित है।

प्ब्क्ै कार्यक्रम के अंतर्गत 6 वर्ष से नीचे के बच्चों, गर्भवती माताओं एवं दुग्ध–पान कराने वाली माताओं व संतानोत्पत्ति योग्य (15 से 45 वर्ष समूह की ) महिलाओं को लाभा पहुँचाना है। इस कार्यक्रम के अधीन निम्नांकित सेवाएं प्रदान की जाती है –

- पूरक पोषाहार की आपूर्ति
- प्रतिरक्षात्मक टीकाकरण कार्य
- स्वास्थ्य जाँच
- निर्देशात्मक सेवाएं
- विद्यालय पूर्व अनौपचारिक शिक्षा
- पोषाहार एवं स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा

प्ब्क्ै कार्यक्रम के द्वारा बच्चों, जच्चा–बच्चा एवं भावी माताओं को आवश्यक व समेकित सुविधा सुलभता पूर्वक उपलब्ध करने हेतु गाँव /कस्बा / टोला/झुग्गी झोपड़ियों के निकट आंगनवाड़ी केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

प्ब्क्ै कार्यक्रम के अधीन लाभार्थी समूह निम्नलिखित है –

- तीन (3) वर्ष से कम उम्र के बच्चे
- तीन से छह (3–6) वर्ष के बच्चे
- गर्भवती एवं दुग्धपान करानेवाली माताएँ
- पंद्रह से पैंतालिस (15–45) वर्ष की संतानोत्तपत्ति योग्य महिलाएँ
- एग्यारह से अठारह (11–18) वर्ष की किशोरियाँ (भावी माताएँ)

समेकित बाल विकास योजना के लिए बजट प्रावधान लगातार बढ़ा है और 2007–08 के 483.59 करोड़ रू. से 2013–14 में 1714.26 करोड़ रू. हो गया है जो 22.7 प्रतिशरत की वार्षिक वृद्धि दर दर्शाता है। वर्ष 2013–14 में केन्द्र सरकार द्वारा विमुक्त रकम बजट प्रावधान का मात्र 66.9 प्रतिशत

थी जो गत वर्ष से कम है। इसे विपरीत, 2013–14 में कुल विमुक्त रकम के मुकाबले 107.6 प्रतिशत धनराशि खर्च की गई जो स्पष्ट रूप से धनराशि के प्रभावी उपयोग को सूचित करता है।

11 से 18 वर्ष उम्र वाली किशोरियों के पोषण और स्वास्थ्य स्तर में सुधार करने और जीवनकौशल, स्वास्थ्य एवं पोषण की शिक्षा प्रदान करने के जरिए उनका सबलीकरण करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने राजीव गांधी किशोरी सबलीकरण योजना (सबला) का आरंभ नवंबर 2010 में किया। योजना लड़कियों को परिवार कल्याण, स्वास्थ्य एवं साफ–सफाई, मौजूदा जन सेवाओं आदि के बारे में जानकारी से सुसज्जित करने और विद्यालय–वाह्य लड़कियों को अनौपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा प्रणालियों के दायरे में लाने के लिए लक्षित है। योजना का क्रियान्वयन समेकित बाल विकास योजना के प्लेटफार्म का उपयोग करके किया जा रहा है और आंगनवाड़ी केन्द्र इसके सेवा प्रदान के अभिकर्त्ता हैं। हालांकि जहाँ आंगनवाड़ी केन्द्रों पर अधिसंरचनात्मक और अन्य सुविधाएं अपर्याप्त हैं, वहां विद्यालयों/पंचायत भवनों/सामुदायिक भवनों में इसकी वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। सबला योजना के दो प्रमुख घटक हैं – पोषण और पोषणेतर। 11 से 14 वर्ष उम्र वाली विद्यालय–वाह्य लड़कियों और 14 से 18 वर्ष की उम्र वाली सारी किशोरियों को पोषण 'सूखा राशन' या 'गर्म पके राशन' की शक्ल में दिया जाता है। पोषणेतर घटक के तहत 11 से 18 वर्ष उम्र की किशोरियों की विकास संबंधी जरूरतें पूरी की जाती हैं और उन्हें आयरन–फोलिक एहिड की गोलियां, स्वास्थ्य जाँच, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, परिवार कल्याण संबंधी परामर्श, कौशलमूलक शिक्षा, जन सेवाओं की उपलब्धता संबंधी परामर्श और व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। यह योजना एक वर्ष में एक करोड़ किशोरियों को पोषण उपलब्ध कराने के लिए लक्षित है।

## सन्दर्भः


1. भारत सरकार की जनगणना, 2011 के आँकड़े – ूण्बमदेनेवपिदकपंण्बवउ
2. आर्थिक सर्वेक्षण 2015–16, वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना, फरवरी 2016, पृष्ठ 304
3. वार्षिक प्रतिवेदन 2016–14, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पृष्ठ 1
4. वहीं, पृष्ठ 2–3
5. समेकित बाल विकास सेवा निदेशालय, बिहार सरकार की वेबसाइट – ूण्पबकेइपीण्हवअण्पद
6. आर्थिक सर्वेक्षण 2015–16, पूव सन्दर्भित
7. वार्षिक रिपोर्ट 2016–17, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ 222–223
8. 5 नंबर वाला
9. वही
10. 6 नंबर वाला, पृष्ठ 305
11. वही, पृष्ठ – 306